राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक : 02 SEP 2024

सं. एफ. 2(32)वित्त/कर/2018-96:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(32)वित्त/कर/2018-96 दिनांक 13.08.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : अगस्त 13, 2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) द्वारा राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम, जयपुर (आरडब्ल्यूएसएससी) के पक्ष में 1576.78 करोड़ रूपये के ऋण के लिए निष्पादित किये जाने वाले ऋण करार की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

सं. एफ. 2(32)वित्त/कर/2018-96
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) मे प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज कॉर्पोरेशन, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग ।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग ।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव